4/6/18 पत्रावली राज्य बनाम [illegible] अभियोजक मौजूद। कर्मचारी पर मूल ग्राम के [illegible] नि. [illegible]

प्रस्तुत किया [illegible] उपस्थित।

चूंकि मूल वाद निर्णीत हो चुका है इसलिए सं.प्र.प. चलने योग्य नहीं होने से प्रकरण में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्राप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नर्वदा कुमारी

उदयराम

सुशील

[signature]
4/6/18

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:40:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner